महासंघअमहा

एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल

मध्यप्रदेश के बाहर

साँची घी, मिल्क पाउडर एवं टेबल बटर वितरक हेतु आवेदन–प्रपत्र वर्ष 2018

एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन,
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग हबीबगंज भोपाल – 462024
दूरभाष – +917552580400, 2580401 से 403
फैक्स नम्बर : +917552583149
E- mail : ho.mpcdf@nic.in
फैक्स नम्बर –0755. 2450896
Website – www-mpcdf.gov.in

आवेदन पत्र का मूल्य रु **500/-**

एम.पी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज भोपाल

साँची घी/ मिल्क पाउडर /टेबल बटर वितरक कार्य हेतु मुख्य जानकारी

1	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 04.04.2018 समय 12.00 बजे (दोपहर)
2.	ऑनलाईन आवेदन अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 04.04.2018 समय 01.00 बजे (दोपहर)
3	भौतिक रूप से डी.डी. एवं तकनीकी अर्हता जमा करने का स्थान, दिनांक एवं समय	दिनांक 04.04.2018 समय 01.00 बजे (दोपहर) एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हबीबगंज, भोपाल
4	भौतिक रूप से डी.डी. एवं तकनीकी अर्हता खोलने का स्थान, दिनांक व समय	दिनांक 05.04.2018 समय 02.00 बजे (दोपहर) एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हबीबगंज, भोपाल
5	ऑनलाईन आवेदनपत्र खोलने का स्थान, दिनांक एवं समय	दिनांक 05.04.2018 समय 12.00 बजे (दोपहर) एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हबीबगंज, भोपाल
6	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	आवेदन के साथ रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल'' **Payable at** भोपाल के नाम से देय हो
7	एमपीसीडीएफ में आवेदन खोलने का स्थान	मीटिंग हॉल, ''एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल
8	साँची घी/ मिल्क पाउडर /टेबल बटर वितरक हेतु तकनीकी अहर्ताएं का प्रारूप (भौतिक रूप से जमा करने हेतु)	प्रपत्र 01
9	आवेदन प्रपत्र (ऑनलाईन अपलोड हेतु)	प्रपत्र 02
10	साँची घी/ मिल्क पाउडर / टेबल बटर वितरक की आवश्यक शर्तें	प्रपत्र 03
11	अनुबंध प्रारूप	प्रपत्र 04

12. प्रपत्र क्र.01 ''तकनीकी अर्हतायें'' प्रपत्र क्रमांक 03 ''आवश्यक शर्तें'' को बन्द लिफाफे में एवं हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत किया जावे, एवं लिफाफे पर ''साँची घी/ मिल्क पाउडर /टेबल बटर हेतु आवेदन'' लिखा जावे साथ ही लिफाफो पर प्रेषक का नाम, पता अंकित किया जावे। प्रपत्र क्र.02 ऑनलाईन जमा करें ।

13 आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

14 पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के बिना प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

15 आवेदक द्वारा प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–3 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

16 **फार्म केवल ऑनलाईन क्रय किये जा सकते हैं जो कि ऑनलाईन वेबसाईट www.mpeproc.gov.in से रू.500/– के भुगतान पर क्रय किये जा सकते हैं।**

(भौतिक रूप से जमा करें)

प्रपत्र 01

प्रति,

तकनीकी अर्हतायें

Phtographs

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन
हबीबगंज, भोपाल ।

महोदया,

साँची घी/ मिल्क पाउडर / टेबल बटर वितरक कार्य हेतु राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली में वितरक **नियुक्ति** हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू.100000/– (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कमांक ....दिनांक ....जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल /मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4	आवेदनकर्ता/संस्था का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
5	**जीएसटी नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में निविदाकार को जीएसटी नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य**		जीएसटी नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें।
6	**उपलब्ध वाहनों का प्रकार/किराये/** नया वाहन खरीदने के स्थिति में तदाशय का शपथ–पत्र संलग्न करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें।
7	**बैंक का नाम व खाता क्रमांक**		बैंक स्टेटमेन्ट की विगत एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
8	**वित्तीय वर्ष 2015–16 (कर निर्धारण वर्ष 2016–17) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण**		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।
9	**FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।**		FSSAI लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ————————————————

नाम :— ————————————————

पता :— ————————————————

————————————————

————————————————

मोबाईल नं.————————————————

ई—मेल आईडी ————————————————

(ऑनलाईन अपलोड करें)

<u>प्रपत्र क्र.02</u>

<u>साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर वितरक हेतु आवेदन पत्र</u>

1. दुग्ध पदार्थ जिसकी वितरकशिप चाही गई है ....
2 आवेदक का नाम ....

3 पिता का नाम ....

4 स्थाई / वर्तमान पता ....

....

....

5 दूरभाष / मोबाईल नं. ....

6 शैक्षणिक योग्यता ....

7 आवेदक / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ....

....

8 वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कंपनियों के कार्य का विवरण व प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

....

9 वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर (आई.टी.रिटर्न का प्रमाणपत्र संलग्न करें)............................

....

10 FSSAI लाइसेंस नं ....

..11 (अ) पेन नम्बर ....

(ब) FSSAI ....

(स) GSTIN नम्बर ....

(समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

12 वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ....

. (अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा ....

(ब) बैंक व वित्तीय संस्था में जमा राशि ....

(गत दो वित्त वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का आयकर विवरण (आई.टी. रिटर्न संलग्न करें)

13 वितरक हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था...

....

14 वाहन की व्यवस्था (वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें, अथवा विवरण दे)............

....

15 धरोहर राशि। रू...

डी.डी. / एम.आर नं. ....

दिनांक .... प्रपत्र 01 के साथ संलग्न है)

मेरे द्वारा साँची घी / मिल्क पाउडर / टेबल बटर वितरकशिप संबंधित इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

प्रपत्र क्र.03

साँची घी वितरक हेतु आवश्यक शर्ते :-

1. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदक को आवेदन के साथ रू.1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. वितरक को एमपीसीडीएफ में सुरक्षा निधि रू 10,00,000/– (दस लाख रूपये मात्र) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के नाम से जमा करना होगा ।
4. वितरक के पास विगत तीन वर्षों में संयुक्त रूप से रू.20 करोड़ का कुल टर्न ओव्हर होना अनिवार्य होगा। टर्न ओव्हर सत्यापित करने हेतु आई.टी. रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
5. वितरक को दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित भंडारण हेतु गोडाउन की व्यवस्था करनी होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले वाहनों की व्यवस्था भी करनी होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
6. वितरक को अपनी मांग कम से कम 7 दिवस पूर्व एमपीसीडीएफ/संबंधित दुग्ध संघ को लिखित में देनी होगी, किन्तु एमपीसीडीएफ/संबंधित दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार उत्पाद का प्रदाय संबंधित संयंत्र वितरण डॉक से किया जाएगा।
7. एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार मात्र अग्रिम भुगतान पर ही उत्पादों का प्रदाय किया जाएगा।
8. वितरक को उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जांच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट हानि की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी।
9. वितरक को एमपीसीडीएफ की निर्धारित शर्तों अनुसार रू.1000/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर त्रि–पक्षीय अनुबंध एमपीसीडीएफ(प्रथम पक्ष), दुग्ध संघ(द्वितीय पक्ष) एवं वितरक(तृतीय पक्ष) के मध्य निष्पादित करना होगा। साथ ही वितरक को दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोषजनक होने पर इसमें प्रबंध के निर्णय अनुसार एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
10. वितरक को आबंटित राज्य में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।
11. वितरक को मासिक लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. वितरक के पास स्वयं का कम्प्यूटराईज्ड ऑफिस होना चाहिए। जिसमें स्टाफ की संख्या आवश्यकता के अनुरूप हो। साथ ही ऑफिस के डॉक्यूमेंट/किरायानामा की एक प्रति एमपीसीडीएफ में जमा करनी होगी।

13. सप्लाई मोड संबंधित दुग्ध संघ से एक्स फैक्ट्री रहेगा ।

14. चयनित वितरक का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ द्वारा संबंधित कार्यक्षेत्र में अन्य वितरक की नियुक्ति की जा सकेगी ।

15. समान क्षेत्र के लिए एक से अधिक पात्र उम्मीदवार की स्थिति में क्षेत्रवार वितरकशिप एमपीसीडीएफ द्वारा आबंटित की जाएगी ।

16. चयनित वितरक को विभिन्न दुग्ध संघ में लागू वितरक कमीशन उनके नियमानुसार दिया जाएगा ।

17. चयनित वितरक एग्रीमेंट के साथ आपातकाल के लिए पांच बिना दिनांक और राशि लिखे हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक एमपीसीडीएफ में जमा करेंगे। कार्य अवधि समाप्त होने पर ब्लेंक चैक उपयोग न होने की स्थिति में वितरक को वापस किये जाएंगे ।

18. भौतिक रूप से प्राप्त तकनीकी आवेदन परीक्षण में सफल आवेदक का ही ऑनलाईन आवेदन खोला जाएगा ।

19. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल को होगा।

20. प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

21. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की ईएमडी राजसात कर ली जाएगी ।

मेरे द्वारा साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर वितरक हेतु आवेदन एवं समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 21 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ व मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क्र.04

साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटल वितरक हेतु त्रि-पक्षीय अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन हबीबगंज, भोपाल जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ), (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर दुग्ध संघ), (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ), (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर दुग्ध संघ), (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ), (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखंड दुग्ध संघ).................... .... जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जाएगा एवं मेसर्स / श्री .... जिन्हें आगे तृतीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची घी / मिल्क पाडर / टेबल बटर वितरक कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :–

1. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष को केवल साँची घी / मिल्क पावडर / टेबल बटर वितरण / विक्रय हेतु आवंटित सम्पूर्ण राज्य हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु वितरक नियुक्त किया गया है। जिसे कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की सहमति अनुसार एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. वर्तमान में तृतीय पक्ष द्वारा संघ में प्रतिभूति स्वरूप राशि रू.............................. / – शब्दों में (..... ....) की बैंक डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया है, इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो तृतीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा माल प्रदायगी रोक दी जावेगी।
3. यह कि तृतीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त दैनिक उठाये जाने वाले उत्पाद की राशि अग्रिम आर.टी.जी.एस के माध्यम से अथवा नगद दुग्ध संघों में जमा कर जमा रसीद (एम.आर) / आर.टी.जी.एस विवरण की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी दुग्ध प्रदाय किया जा सकेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष / वितरक को उनकी मांग एवं संबंधित दुग्ध संघ में उपलब्धता अनुसार उत्पाद का प्रदाय विभिन्न पैकिंग में करेगा, जिसे तृतीय पक्ष / वितरक उसी ईकाई / केस / कार्टन में विक्रय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। साँची घी, मिल्क पाउडर एवं टेबल बटर खुला विक्रय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र स्टोर से प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे के मध्य दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा।
5. प्रथम एवं द्वितीय पक्ष यदि यह महसूस करें कि तृतीय पक्ष साँची घी / मिल्क पाउडर / टेबल बटर विक्रय का वितरण समान रूप से विक्रेताओं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय पक्ष तत्काल में अपने साधन से साँची घी / मिल्क पाउडर / टेबल बटर की आपूर्ति करेंगे एवं इस बात की तस्दीक करेंगे की तृतीय पक्ष द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जान बूझकर लापरवाही की जा रही है, पाया जाता है तो एक बार चेतावनी देकर दूसरी बार प्रथम एवं द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष की वितरकशिप समाप्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. यह कि तृतीय पक्ष को साँची घी / मिल्क पाउडर / टेबल बटर विक्रय वृद्धि हेतु प्रथम एवं द्वितीय प़क्ष द्वारा विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
7. प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा की वह तृतीय पक्ष के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा तथा उसी अनुसार

वितरकशिप और व्यवहार आगे बढाया जाना है अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय विश्लेषण प्रमुख रहेंगे। जिसमें तृतीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।

8. तृतीय पक्ष/वितरक द्वारा साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर वांछित मात्रा की मांग कम से कम 7 दिन पूर्व नियम समय अवधि तक अग्रिम लिखित में संबंधित दुग्ध संघ को प्रस्तुत करनी होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जाएगा।
9. तृतीय पक्ष/वितरक द्वारा संबंधित दुग्ध संघों से उठायी गई साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर मात्रा का लेखा जोखा हर तरह से तृतीय पक्ष रखेंगे एवं प्रथम एवं द्वितीय पक्ष द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम. एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
10. तृतीय पक्ष/वितरक साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, संयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात् किसी भी शिकायत को मान्य नहीं किया जाएगा।
11. यदि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय/राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर पर लगाया जाता है, तो उसका वहन तृतीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देंगें।
12. तृतीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्ही भी आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेज़ों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ति सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा की जाती है, तो उसकी भरपायी तृतीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।
13. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संबंधित दुग्ध संघ निर्मित साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर के सेम्पल की मांग की जाती है, तो तृतीय पक्ष/वितरक उन्हें सील बन्द ईकाई (साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर) देगा, किसी भी स्थिति में खुला साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर नहीं देगें, अन्यथा प्रथम एवं द्वितीय पक्ष किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगे। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
14. तृतीय पक्ष/वितरक द्वारा साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान प्रथम एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं दिया जाएगा। टेबल बटर का तापरोधी वाहन से ही परिवहन किया जाएगा ।
15. तृतीय पक्ष को ''साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर'' विक्रय हेतु आवंटित राज्य में विक्रेता नियुक्त करने होंगे एवं उसे मधुर संबंध स्थापित करने होंगे ।
16. उक्त अनुबंध को प्रथम,द्वितीय पक्ष अथवा तृतीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें तीनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम एवं द्वितीय पक्ष द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा तृतीय पक्ष/वितरक से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।

17. उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को होगा, जिसमें तृतीय पक्ष/वितरक की सहमति भी ली जावेगी।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं तीनों पक्षों को मान्य होगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

उपरोक्त शर्तों पर तीनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश-हवास में एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो तीनों पक्षों को मान्य है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी.. साँची घी/मिल्क पाउडर/ टेबल बटर वितरक ....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती.. को घोषित करता/ करती हूँ।

साँची घी/मिल्क पाउडर/टेबल बटर वितरक
के हस्ताक्षर (तृतीय पक्ष)......................
नाम...
पता..
....

प्रबंध संचालक(प्रथम पक्ष)
एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव,
डेयरी फेडरेशन, भोपाल

1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः-.................................
....
....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (द्वितीय पक्ष)
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (द्वितीय पक्ष)
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.

2.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः-.....................................
....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (द्वितीय पक्ष)
उज्जैन सह. दुग्ध संघ मर्या

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (द्वितीय पक्ष)
ग्वालियर सह दुग्ध संघ मर्या

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (द्वितीय पक्ष)
जबलपुर सह दुग्ध संघ मर्या

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (द्वितीय पक्ष)
बुंदेलखंड सह दुग्ध संघ मर्या